title: Requested to write off the interests of bank loans taken by the marginal farmers of Jharkhand.

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, आज से पांच-सात वर्ा पहले इस संसद में और राज्य सरकारों ने घोाणा की थी कि छोटे किसान परिवारों के लोगों ने जो ऋण लिये हैं, उन्हें माफ कर दिया जाए । उसके बाद जब किसान ऋण देने के लिए बैकों में जाते थे तो उनसे ऋण नहीं लिया जाता था, उनसे कहा जाता था कि तुम्हारा ऋण माफ हो गया है। इसमें जिन छोटे किसान परिवारों के लोगों को ऋण दिया गया था, उनमें जिसका ऋण हजार रुपये था वह बढ़कर दस हजार हो गया है और जिसे पांच हजार रुपये ऋण दिया गया था, वह बढ़कर पचास हजार रुपये हो गया है। आज इन सभी लोगों को परेशान किया जा रहा है और इन लोगों को जेलों में ठूंसा जा रहा है। इससे पहले भी अनेक सदस्यों ने यहां इस बात को उठाया है और हमने कहा था कि अगर सरकार इन लोगों के ऋण माफ नहीं करती है तो कम से कम उनका सूद माफ कर दे। चाहे वह भूमि विकास बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो या अन्य कोई बैंक हो, किसान आज मूलधन जमा करा सकते हैं। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह राज्य सरकारों और विशेा रुप से झारखंड सरकार को यह निर्देश दे कि वह इन लोगों का सूद माफ कर दे और इनसे मूलधन वसूल करे, यही मेरा सरकार से अनुरोध है।